न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत,

राजस्व विविध 291/ 2018

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 घमण्डीलाल पुत्र तेजाराम जाति माली, निवासी नाथलकुण्डी तह0 सोजत जिला पाली राज0।	1.	तेजाराम पुत्र रूघाराम जाति माली निवासी नाथों की प्याउ दादिया फाटक के पास, सोजतरोड़ तहसील सोजत जिला पाली राज.
	2.	भंवरलाल पत्नि रूघाराम जाति माली निवासी नाथलकुण्डी तहसील सोजत जिला पाली राज.
	3.	तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र औझा, श्री अशोक गहलोत अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 18.03.2021

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा नाथलकुण्डी पटवार हल्का वासना तह0 सोजत के वर्तमान ख0स0 66 व 69 के पूर्व के खसरा संख्या 159 रकबा 0.5500 है0,खसरा संख्या 160 रकबा 0.6300 है0, खसरा संख्या 204 रकबा 1.2200 है0 व खसरा संख्या 184 रकबा 0.2100 है0 की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि आई हुई स्थित है। इस भूमि के वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 159 रकबा 0.5500 है0 खसरा 184/1 रकबा 0.1050 है0, खसरा संख्या 204 रकबा 0.6100 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.2650 है0 की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 भंवरलाल व खसरा संख्या 160 रकबा 0.5200 है0, खसरा संख्या 184 रकबा 0.1050 है0, खसरा संख्या 204/1 रकबा 0.6100 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.2350 है0 अप्रार्थी संख्या 1 व खसरा संख्या 160/1 रकबा 0.1100 है0 की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्जसुदा हैं। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की पैतृक, पुश्तैनी, विरासत में प्राप्त कृषि भूमि हैं, अर्थात् उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता रूघाराम पुत्र श्री छोगाराम जी आई हुई स्थित है। जो कि राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049, 2050 से 2053, 2054 से 2057 से स्पष्ट है। उपरोक्त कृषि भूमि के वर्तमान खसरा संख्या मूल संख्या 159, 160, 204 व 184 से मिलकर बने है। वंशावली अनुसार प्रार्थी के दादा रूघाराम पुत्र छोगाराम थे। जिनका स्वर्गवास सन् 1998 में हो चुका है तथा रूघाराम की पत्नी का भी स्वर्गवास रूघाराम के स्वर्गवास से पूर्व हो चुका है। रूघाराम जी के उतराधिकारी वारिसान में दो पुत्र भंवरलाल अप्रार्थी संख्या 2 , तेजाराम अप्रार्थी संख्या 1 तथा एक पुत्री पानी हुई थी, जिस पुत्री पानी का स्वर्गवास हो चुका है। तथा तेजाराम अप्रार्थी संख्या 1 के उतराधिकारी वारिसान में दो पुत्र घमण्डीलाल प्रार्थी एवं मगलाराम जो मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 4 एवं दो पुत्रियां संतोष जो मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 3 एवं लक्ष्मी जो मूल वाद में प्रतिवदी संख्या 5 हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रूघाराम के जाईन्दा पुत्र है। अप्रार्थी स्वर्गीय

उप खण्ड अधिकारी
... (पाली) राज

Scanned with CamScanner

रूघाराम का पौत्र है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की संयुक्त कब्जा काश्त की पैतृक व पुश्तैनी भूमि है। जिसमे प्रार्थी का अपनी पैतृक कृषि भूमि में अपने दादा रूघाराम के जीवनकाल मे जन्म हो जाने से उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित हो चुका है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम क तहत प्रार्थी रूघाराम का प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस होने से व उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक व पुश्तैनी भूमि में जन्म से हक हिस्सा विरासत मे प्राप्त हो चूका है। वादस्थ कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में पूर्व से प्रार्थी के दादा रूघाराम पूत्र छोगाराम के नाम की राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज चली आई है। प्रार्थी के दादा का स्वर्गवास वर्ष 1998 में होने के पश्चात प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में रूघाराम के स्वर्गवास पश्चात अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना नाम 1/2, 1/2 हक हिस्सा दर्ज करवा दिया गया बल्कि रूघाराम के स्वर्गवास पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी की सहमति व स्वीकृति प्राप्त किये प्रार्थी व अन्य वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज न करवा कर सम्पूर्ण कृषि भूमि के 1/2 हक हिस्से में अपना नाम विधि विरूद्ध रूप से इन्द्राज करवा दिया बल्कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का भी नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होना चाहिये था। क्योंकि उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक, पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का अपने जन्म से हक हिस्सा निहित हो चुका है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब हो चुकी है। व वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थी के पैतृक भूमि मे प्राप्त हक हिस्से को हडप करने की नियत रही है। बल्कि उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित कृषि भूमि नहीं हैं, बल्कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की पैतृक, पुश्तैनी व विरासत में प्राप्त कृषि भूमि है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 के अन्य पुत्र/पुत्रीयां तमाम रूघाराम क हिन्दू उतराधिकार अधिनियम अनुसार वैद्य वारिसान है तथा तमाम हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है। इसलिए सम्पूर्ण वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 के अन्य पुत्र/पुत्रीयां का संयुक्त 1/2 हिस्सा अर्थात् प्रार्थी का 1/2 का 1/5 अर्थात् 1/10 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब हो जाने के कारण व प्रार्थी को वादस्थ कृषि भूमि मे प्राप्त हक हिस्से को हडप करने की नियत से तथा यह जानते हुए कि उपरोक्त कृषि पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का भी कानूनन हक हिस्सा निहित है के उपरान्त बिना प्रार्थी की सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त किये वाले वाले वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में 1/2 हिस्से में अपना नाम विधि विरूद्ध रूप से इन्द्राज करवा दिया। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में स्वर्गीय रूघाराम के स्वर्गवास के पश्चात जरिये नामान्तरण संख्या 94 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम किया गया। इन्द्राज प्रार्थी के खातेदारी हक हकूकों के विपरीत होने से ऐसा इन्द्राज व नामान्तरण अवैध, शुन्य व निष्प्रभावी है। ऐसे अवैध इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। प्रार्थी का वादग्रस्थ कृषि भूमि के 1/10 हक हिस्से पर प्रार्थी का लगातार बिना किसी बाधा, अडचन, रूकावट के शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा काश्त उपयोग, उपभोग चला आ रहा है तथा मौके पर प्रार्थी वादस्थ भूमि पर लगातार कब्जा काश्त कर फसल बुवाई करता आया है। प्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि पर तारावंदी करवायी हुई है। दिनांक 12/06/2018 को प्रार्थी द्वारा हमेशा की भाति वादग्रस्थ पैतृक कृषि भूमि मे प्राप्त अपने हक हिस्से की सार सम्भाल हेतु मौके पे गया तो आगे वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 मौके पर मिला तो प्रार्थी को देखते ही प्रार्थी को ऐलानिया धमकीया देने लगे कि उपरोक्त कृषि भूमि तेरे पैर

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

रखने की हिम्मत कैसे हो गई तथा प्रार्थी को उपरोक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं होने की धमकिया देने लगे तब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को हाथा जोडी की कि उपरोक्त कृषि भूमि मेरी पैतृक, पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसमें मेरा भी हक हिस्सा निहित है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 नही माना और प्रार्थी को ऐलानियां धमकिया देने लगा कि उपरोक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि हुई है तो क्या हुआ राजस्व रेकर्ड मे तो मेरा नाम इन्द्राज है तेरा उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है तथा मौके पर प्रार्थी के हक हिस्से पर की हुई तारबंदी को नुकसान कारित करने लग गया तथा प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज हो जाने के आधार पर बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत इत्यादि करने की धमकिया देने लगा तथा प्रार्थी को वादस्थ कृषि भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग से बेदखल करने की ऐलानिया धमकियां देने लगे गया, तब प्रार्थी द्वारा वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की तहसील कार्यालय से दिनांक 14/06/2018 को तमाम जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि वादस्थ पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम खातेदार इन्द्राज नहीं है व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से को हड़प करने की नियत से प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही करवाया व बिना प्रार्थी की सहमति एवं स्वीकृत किये बिना विधिक बंटवाडा करवाये वादस्थ कृषि भूमि के 1/2 सम्पूर्ण हक हिस्से में अपना नाम इन्द्राज करवा दिया इतना ही प्रार्थी द्वारा वादस्थ भूमि के वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 18/06/2018 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने वाले वाले प्रार्थी की सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त किये बिना विधिक बंटवाडा करवाये राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा कर जरिये नामान्तरकरण संख्या 284 दिनांक 12/06/2017 के आधार पर अपने अपने नाम से अलग अलग इन्द्राज करवा दिया बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बिना प्रार्थी की सहमति एं स्वीकृति प्राप्त किये वादग्रस्त पैतृक भूमि का बंटवाडा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। क्योंकि वादस्थ भूमि में प्रार्थी का भी हक हिस्सा निहित है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या 66 व 69 की भूमि में अपने नाम आपसी सहमति से बंटवाडा कर अलग अलग भूमि दर्ज करवा कर जो नामामन्तरण संख्या 284 के जरिये इन्द्राज रकवाया है उक्त नामन्तरण प्रारम्भतः एवईनिशियो वोईण्ड एवं शुन्य एवं अप्रभावी है। ऐसे अवैध रूप से इन्द्राज किये गये नामान्तरण के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध किसी प्रकार के कोई अधिकार सृजित नहीं होते है। बल्कि आज भी प्रार्थी का वादस्थ कृषि भूमि के 1/10 हिस्से पर कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का वादस्थ कृषि भूमि में 1/2 का 1/5 अर्थात 1/10 हिस्सा ही बनता है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ सम्पूर्ण कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज हो जाने के आधार पर वादस्थ भूमि को भूमाफियो से मिलावट कर भारी रकम लेकर प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को हड़प करने की नियत से अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण रहन इत्यादि करने पर आमादा है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी करने को उतारू है। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण को ऐसे विधि विरूद्ध कृत्य रोके जाने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। यदि अप्रार्थीगण वादस्थ कृषि भूमि मे अपना नाम इन्द्राज हो जाने के आधार पर आगे से आगे बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत इत्यादि कर देता है या प्रार्थी को वादस्थ भूमि से बेदखल कर देता है तो प्रार्थी पैतृक कृषि भूमि में प्राप्त अपने हक हिस्से से हमेशा हमेशा के

उप खण्ड अधिकारी
बोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

लिये वंचित हो जावेगा। प्रार्थी की आजिविका का एकमात्र साधन वादस्थ भूमि ही है। अतः यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रार्थी बहक अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है क्योकि वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी, विरासत में प्राप्त कृषि भूमि है जो कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के दादा रूघाराम पुत्र छोगाराम के नाम से इन्द्राज चली आई है, जो राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है तथा प्रार्थी का अपने दादा रूघाराम के जीवनकाल मे जन्म हो जाने से वादस्थ कृषि भूमि में हक हिस्सा निहित हो चुका है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार भी प्रार्थी रूघाराम का प्रथम श्रेणी का विधिक उतराधिकारी वारिस होने से वादस्थ भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा बनता हैं वादस्थ कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित कृषि भूमि नही है अप्रार्थी संख्या 1 ने वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की बिना सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त किये प्रार्थी के हक हिस्से को हडप करने की नियत से राजस्व रेकर्ड में अपने अकेले का नाम इन्द्राज करवा दिया तथा उक्त इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के बिना सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त किये बाले बाले आपसी सहमति से बंटवाडा कर अपना नाम अलग अलग राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवा दिया अब उक्त अवैध इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण वादस्थ कृषि भूमि का अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण करने को उतारू है तथा प्रार्थी को वादस्थ भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम इन्द्राज होने पर उक्त भूमि का आगे से आगे बेचान, हस्तान्तरण रहन इत्यादि कर देता है प्रार्थी पैतृक कृषि भूमि में प्राप्त अपने हक हिस्से से हमेशा हमेशा के लिये हमरूम हो जावेगा। जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयो नही आंका जा सकेगा। प्रार्थी का वादस्थ भूमि पर लगातार बिना किसी बाधा अडचन के शातिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभेग बाधा दखल कारित करने को उतारू है जिसका की अप्रार्थी संख्या 1 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में है साथ अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि में प्रार्थी से बिना विधिक वैध विभाजन करवाये अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण, रहन न करे व राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे इस हेतु भी अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है। दिनांक 26.09.2018 से लगातार जबाब प्रार्थना प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अवसर दिये जाने के बाद भी जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया है तथा आज भी जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने में विफल रहे है लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर समाप्त किया जाकर जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। बहस वकुलाय प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 सुनी गई एव समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादस्थ भूमि पुश्तैनी विरासत से प्राप्त हुई भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हिस्सा निहित हो चुका है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 ने 1/2 हिस्सा अपने नाम से करवा दिया है जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 01 वादस्थ भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को बेचान कर सकता है अतः वाद निर्णय तक वादस्थ भूमि की मौका व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थी राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी अवैध रूप से भूमि को अपने नाम से करवाने हेतु दावा प्रस्तुत किया है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर घोर कर मनन किया गया। वस्तुतः अप्रार्थीगण वर्तमान में बतौर खातेदार दर्ज है। तथा खातेदार के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का सारहीन तथ्यहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दारिखल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 18/03/21 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner